

कार्यालय कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल ( म0प्र0)

क्रमांक 39 अ-82/17-18/मलकापुर/10624 बैतूल दिनांक 31/8.2018  
प्रति,

संचालक,  
जनसम्पर्क संचालनालय,  
विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास,  
भोपाल ।

विषय:- ग्राम अम्भोरी तहसील मुलताई के भू-अर्जन प्रकरण में  
सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का प्रकाशन कराने बाबत।

-0-

म0प्र0 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 08 के अन्तर्गत अम्भोरी लघु जलाशय हेतु अर्जन की जाने वाली भूमि के सम्बंध में सामाजिक समाघात रिपोर्ट की छाया प्रति संलग्न है।

उक्त सामाजिक समाघात रिपोर्ट का प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रों में कराया जाकर प्रकाशन की प्रति इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करें।


संलग्न :- उपरोक्तानुसार

  
(शशांक मिश्र)  
कलेक्टर एवं

पृ0क्र0 39 अ-82/2016-17/10624 भू-अर्जन अधिकारी बैतूल  
प्रतिलिपि:- बैतूल दिनांक 31-8-2018

- 1- अनुविभागीय अधिकारी, (रा) बैतूल को अग्रेषित, सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर प्रकाशन कराया जाकर इस कार्यालय को सूचित करे।
- 2- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई को प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- 3- प्रभारी अधिकारी नजारत शाखा कलेक्टोरेट बैतूल,
- 4- प्रभारी एन आई सी सेन्टर बैतूल, समुचित सरकार की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु ।
- 5- तहसीलदार बैतूल को प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

  
कलेक्टर एवं 24P

भू-अर्जन अधिकारी बैतूल

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं-अर्जन अधिकारी मुलताई

प्रकरण क्रमांक 39/अ-82/2017-18, मौजा - अम्भोरी

दिनांक 18/06/2018

प्ररूप "ख"  
(नियम - 5 देखिए)

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

- (1) परियोजना विकास का नाम :- कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग
- (2) लोक प्रयोजन :- अम्भोरी (स्टोरेज) लघु जलाशय योजना
- (3) स्थल :- अम्भोरी
- (4) परियोजना का सिंचित क्षेत्र :- 165 Ha
- (5) विकल्प जिन पर विचार किया गया :- हां
- (6) परियोजना की पृष्ठ भूमि, विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित :- हां
- (7) परियोजना निर्माण के चरण :- प्रथम चरण
- (8) परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शों :- रकबा 15.752 Ha
- (9) परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि :- रकबा 15.752 Ha
- (10) भूमि का मुल्य :- 770000 /- प्रति हे. (सिंचित)  
:- 385000 /- प्रति हे. (असिंचित)
- (11) प्रभावित परिवारों की संख्या अधिनियम की धारा 3 के खंड (ग) के अनुसार :-
- (12) परिसंपत्तियां :-
- |                      |           |     |       |      |
|----------------------|-----------|-----|-------|------|
| लोक संपत्ति :- भूमि  | निरंक     | भवन | निरंक | अन्य |
| नीजि संपत्ति :- भूमि | 15.752 Ha | भवन | निरंक | अन्य |
- (13) विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई :-

ग्राम :- अम्भोरी

परिवारों की संख्या :- 0

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	अन्य	योग
0	0	0	0

जिनके मकान अर्जित हुए :- 0

ग्राम :- अम्भोरी

परिवारों की संख्या :- 0

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	अन्य	योग
0	0	0	0

(14) सामाजिक समाघात :-

(क) समाघातों का विवरण :- निरंक

(ख) समाघातों की संकेतक सूची :- निरंक


(15) विकल्प जिन पर विचार किया गया :-

(क) यदि हां - तो वर्तमान प्रस्ताव को अधिमान्यता क्यों दी गई ? :- अम्भोरी (स्टोरेज) लघु जलाशय योजना

(ख) यदि नहीं - तो क्यों ? :- निरंक

(16) निष्कर्ष :-

- (1) प्रभावित भूमि के अर्जन से लोक प्रयोजन पूरा होता है।
- (2) प्रभावित भूमि के अर्जन से कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।
- (3) प्रभावित भूमि के अर्जन से जो परिसंपत्तियां प्रभावित हो रही हैं उनका विधिनुसार मुआवजा दिया जा रहा है।
- (4) आवश्यकतानुसार भूमि का ही अर्जन किया जा रहा है।
- (5) इस परियोजना के लिए शासकीय सभी मापदण्डों के अनुसार यही भूमि अर्जन हेतु उपयुक्त पाई गई जिसके कारण भूमि अर्जन के प्रस्ताव पेश किए गए हैं।
- (6) जिस भूमि का अर्जन प्रस्तावित किया गया है समग्र खर्च की तुलना में परियोजना से फायदे अधिक हैं। सभी मापदण्डों के आधार पर अध्ययन किया जाकर परियोजना निर्माण हेतु भूमि का अर्जन उपयुक्त है।



अनुविभागीय अधिकारी (रा)

मुलताई



श्री मुरारी अग्रवाल  
व्यवसायिक प्रतिष्ठित एवं शिक्षित  
व्यक्ति (सदस्य)



उपवन मंडलाधिकारी  
मुलताई (सदस्य)



अनुविभागीय अधिकारी  
जल संसाधन उपसंभाग  
आमला (सदस्य)